(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 28 /2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, कूरियर आयात ओर निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 में और आगे भी संसोधन करता है, यथा-

1. (1) इन विनियमों को कूरियर आयात ओर निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण)संसोधन विनियमावली ,2018 कहा जाएगा।

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात ओर निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण)विनियमावली,2010 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विनियमावली से संदर्भित किया गया है), के विनियम 2 में, उपविनियम (2) में, उपवाक्य (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ख) निर्यात उन्मुखी इकाई (EOU) योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं, जो कि विदेश व्यापार नीति, 2009-14 या 2015-20 के अध्याय 6 मे संदर्भित हैं, से पृथक अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत माल का आयात या निर्यात, जैसी भी स्थिति हो:

बशर्ते कि यह उपवाक्य उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो कि विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) के परिशिष्ट 3ग में अधिसूचित हैं और मरकेंडाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत ऐसी खेप जिसका मूल्य 25000 रूपये तक हो और जिसमे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार की बात शामिल हो, के रूप में चेन्नई, दिल्ली और मुंबई वायुपत्त्नों से निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित हो। ";

3. उक्त विनियमावली में, विनियम 6 में, उपविनियम (3) में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर जैसी भी स्थिति हो, फॉर्म H की वस्तुओं के लिए कूरियर शिपिंग बिल-IV (CSB-IV)," के स्थान पर अभिव्यक्ति, -

"फॉर्म H कि वस्तुओं के लिए कूरियर शिपिंग बिल-IV (CSB-IV) या विदेश व्यापार नीति,202-2015(0) के परिशिष्ट 3ग की वस्तुओं, जिनका मरकेंडाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ्रोम इंडिया स्कीम (MEIS) के फॉर्म HA के अंतर्गत निर्यात प्रस्तावित है, के लिए फॉर्म कूरियर शिपिंग बिल-V (CSB-V), जैसी भी स्थिति हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त विनियमावली में, जहां जहां भी शब्द और अंक "कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग रेगुलेसन, 2004" आए हो वहाँ वहाँ इनके स्थान पर शब्द और अंक "कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेसन, 2013" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फॉर्म –HA
कूरियर शिपिंग बिल-V (CSB-V)
[देखे- विनियम 6(3)]

क

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्राधिकृत कूरियर	सीमाशुल्क केंद्र	कूरियर	लदान वाला	एयर लाइन का	कस्टम्स शिपिंग

का नाम और पता	का नाम	पंजीकरण संख्या	पत्तन	नाम और फ्लाइट संख्या	बिल संख्या और तारीख

ख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)		(11)	(12)	(13)
क्रम संख्या	कूरियर AWB संख्या	पैकेज कि संख्या	घोषित भार	गंतव्य स्थान	खेप प्रेषक/ निर्यातकर्ता का नाम और पता	निर्यातक का IEC संख्या	इन्वाइस की अवधि	निर्यातक इन्वाइस के अनुसार माल का विवरण				इन्वाइस मूल्य (FOB)		खेप प्रेषिती का नाम और पता	क्या निर्यात e-कॉमर्स के तहत किया गया था हाँ / ना	क्या निर्यात MEIS स्कीम के अंतर्गत किया गया है हाँ / ना
								क्रम सं.	विवरण	मात्रा	HS कोड़	मुद्रा	INR			

ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GSTIN	इन्वाइस नंबर और तारीख	कुल कर योग्य मूल्य	क्या निर्यात के लिए आपूर्ति IGST के भुगतान पर है या नहीं, कृपया स्पष्ट करें	क्या बॉन्ड या ***UT*** के एवज में	भुगतान की गयी कुल ***cess,*** यदि कोई हो

घोषणा:

(i) मैं/ हम, एतदद्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त निर्यातक ने हमें कूरियर एयरवे बिल के अंतर्गत शिपमेंट की बूकिंग के लिए और उपर्युक्त वर्णित वस्तु के क्लियरंस और निर्यात के लिए एजेंट के रूप में काम करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ii) मैं/ हम, एतदद्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि निर्यातक कि घोषणा के आधार पर हम उपर्युक्त CSB-V में कि गयी घोषणा का अनुपालन करेंगे।

प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

प्राधिकृत कूरियर की मुहर

[फा. सं. 450/221/2016-सीमाशुल्क (IV)]

(जुबैर रियाज)
निदेशक, (सीमा शुल्क)

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली को अधिसूचना सं. 36/ 2010-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 05.05.2010 को सा.का.नि. 585 (अ), दिनांक 05.05.2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 812 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संसोधन किया गया है।